संख्या–3645/आठ–1–2011–25 विविध/07

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक : 19 दिसम्बर, 2011

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1967/9–आ–1–01–6रिट/2000 दिनांक 27.04.01 एवं शासनादेश संख्या–786/आठ–1–08–25 विविध/07 दिनांक 30.01.08 तथा शासनादेश संख्या–1900/आठ–1–09–25 विविध/07 दिनांक 08.07.09 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण तथा रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या–42521/2010 दया कंसल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि सम्पत्तियों के आवंटन में विकलांग श्रेणी के आवेदकों को 03 प्रतिशत हॉरिजन्टल आरक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तद्नुपालन में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्ति आवंटन हेतु होने वाली लॉटरी ड्रा प्रकिया में विकलांग आवेदकों के लिए हॉरिजन्टल एवं वर्टिकल आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु निम्न प्रकिया/व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

1– विकलांग आवेदकों हेतु प्राविधानित हॉरिजॉन्टल आरक्षण 03 प्रतिशत के अनुसार कुल प्रकाशित सम्पत्तियों के सापेक्ष गणना करते हुये 01 से अधिक विकलांग आवेदक होने पर लाटरी ड्रा किया जाय। उक्त लाटरी ड्रा में सर्वप्रथम **01 प्रतिशत आरक्षण** प्राथमिकता के आधार पर **दृष्टिबाधित (visually impaired)** आवेदकों को प्रदान किया जाय। यदि विकलांग कोटे में मात्र एक ही भूखण्ड आता है, तो वह प्राथमिकता पर दृष्टिबाधित आवेदक को, यथावश्यकत लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा। अवशेष विकलांग कोटे के भूखण्डों को (दृष्टिबाधित आवेदक न होने की दशा में सभी विकलांग कोटे के भूखण्डों को) दृष्टिबाधित श्रेणी से इतर विकलांग आवेदकों को यथावश्यक लॉटरी के माध्यम से, आवंटित किया जायेगा। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा–2 में परिभाषित विकलांगता की श्रेणियों में से किसी एक या अधिक श्रेणी में प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित

40 प्रतिशत अथवा अधिक निःशक्तता (विकलांगता) का प्रमाण–पत्र धारी निःशक्त (विकलांग) व्यक्ति पात्र होंगे।

2– उक्त प्रस्तर–01 के अनुसार लाटरी ड्रा में सफल आवेदकों को वार्टिकल आरक्षण हेतु उल्लिखित श्रेणीवार (यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित्र जनजाति, पिछडा वर्ग, आदि) गणना करते हुये सूचीबद्व किया जायेगा।

3– सफल आवेदकों की सम्बन्धित श्रेणियों हेतु वर्टिकल आरक्षण अनुसार आगणित सम्पत्ति की संख्या में से उस श्रेणी के सफल विकलांग आवेदकों की संख्या घटाते हुये शेष सम्पत्तियों के लिए वर्टिकल आरक्षण की श्रेणीवार लाटरी ड्रा की जायेगी।

4– यदि किसी विशेष परिस्थिति में, वर्टिकल आरक्षण की किसी श्रेणी हेतु नियत सम्पत्ति संख्या से अधिक विकलांग आवेदक सफल होंते है, तो ऐसी स्थिति में उस श्रेणी में बढ़ने वाली सम्पत्तियों की संख्या को सामान्य श्रेणी हेतु नियत सम्पत्तियों की संख्या में कम करते हुए समायोजित किया जायेगा।

5– उपरोक्त प्रस्तर–04 में उल्लिखित विशेष परिस्थिति के अनुसार हॉरिजॉन्टल लाटरी ड्रा में किसी श्रेणी के सफल विकलांग आवेदकों की संख्या उस श्रेणी में ऐसे आवेदकों, जो विकलांग नहीं है, को प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुरूप लाटरी ड्रा की प्रकिया में को सामान्य श्रेणी के आवेदकों के साथ में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

6– हॉरिजन्टल लाटरी ड्रा में असफल विकलांग आवेदकों को पुनः किसी वर्टिकल श्रेणी में अन्य सामान्य आवेदकों के साथ लाटरी ड्रा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

3– उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27.04.01, 03.01.08 एवं 08.07.09 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(4) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धितों को सूचित करने का कष्ट करें।
(7) गार्ड फाईल।

भवदीय,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव